pend/cancel the registration Certificate is taken in appropriate cases. On the basis of the complaints received, the Registration Certificates of four Recruiting Agents were suspended and they were prevented from carrying on recruitment business during the period of suspension. The Registration Authority has refused renewal of Registration Certificates of Recruiting Agents.

Food for work Programme

894. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering alternative strategies of providing food for work programme to the poor people of the country; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GARMANG): (a) and (b) There are no alternative strategies of providing food for work to the poor people of the country under consideration with the Government. However, in the existing rural wage employment programmes such as Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and Employment Assurance Scheme (EAS) there is a provision for part payment of wages in the form of foodgrains not exceeding two kgs. per manday. However, this dispensation of distribution of foodgrains to the rural poor under these wage employment programmes is optional.

देश में बाल श्रमिक

895. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1980 से बाल श्रमिकों के नियोजन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने समाज पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) देश में बाल श्रमिकों के नियोजन को कम करने/रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) और (ख) बाल श्रम के संबंध में प्रमाणिक आंकड़े दसवर्षीय जनगणना के दौरान एकत्र किये जाते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार, कामकाजी बालकों की संख्या 13.6 मिलियन थी। 1987-88 में किये गये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर में बाल श्रम की अनुमानित संख्या 17.02 मिलियन आंकी गयी है। 1991 की जनगणना के अनुसार बाल श्रम के संबंध में डाटा अभी जारी नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने माना है कि निर्धनता, शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी आदि जैसे अनेक कारकों के कारण बाल श्रम विद्यमान है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए अगस्त, 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत बाल श्रम की पुनर्वास करने के लिए तीन सूत्री कार्य योजनाएं हैं अर्थात् (i) एक विधायी कार्य योजना (ii) जहां कहीं संभव हो, बालकों को लाभ प्रदान करने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर जोर देना और (iii) मजदूरी/अर्द्ध मजदूरी नियोजन में लगे बाल श्रमिकों की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य योजनाएं।

वर्तमान में आठ राज्यों में अनुमानतः 16000 बालकों को शामिल करके बारह राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया एक मुख्य कार्यकलाप रोजगार से हटाये गये बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार आदि जैसे बुनियादी जरूरतें मुहैया करवाने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना है। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत कामकाजी बालकों के लिए कल्याणकारी परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को 75% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले अनुमानित 20 लाख बाल श्रम का सन् 2000 तक उन्मूलन करने के लिए भारत सरकार ने एक मुख्य कार्यक्रम शुरू किया है। चालू वर्ष के लिए, योजना आयोग ने निष्पादन के